न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस

पत्रावली संख्याः— 07/2014/निगरानी

गीता देवी धर्मपत्नी सोहनलाल जाति दरोगा निवासिनी डूकिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

निगरानीकर्ता

बनाम

1 मुरारीलाल शर्मा पुत्र गणपत राम जाति ब्राहमण निवासी डूकिया तहसील व पंचायत समिति दांतारामगढ़ जिला सीकर
2 ग्राम पंचायत डूकिया पंचायत समिति दांतारामगढ़ जिला सीकर

गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्व न्यायालय स्थायी प्रशासन समिति पंचायत समिति दांतारामगढ़ के आदेश दिनांक 23.06.2014 अपील संख्या 17/12 उनवानी मुरारीलाल शर्मा बनाम गीतादेवी आदि

वकील प्रार्थी श्री प्रभातीलाल
वकील अप्रार्थी श्री सिकेन्द्र सिंह

निर्णय दिनांकः—30.09.2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय स्थायी प्रशासन समिति पंचायत समिति दांतारामगढ़ ने दिनांक 15.08.2014 को पत्रावली कार्यवाही हेतु नियत करके बैकडेट 23.06.2014 लगाकर निर्णय पारित कर एक तरह से क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए निगरानीकर्ता के पट्टे को निरस्त कर दिया। दिनांक 15.08.2014 की आदेशिका निम्न प्रकार से है— "पत्रावली सदन में पेश हुई। सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि दोनों पक्षकारों को आगामी बैठक में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया जावे।" उसके पश्चात् दिनांक 23.09.2014 को अपीलांट का पुत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ जिसके आज्ञाओं की सूची पर उपस्थिति बाबत हस्ताक्षर करवा लिए और कहा कि पट्टा प्रस्तुत कर देना उसके पश्चात् निर्णय किया जावेगा। परन्तु अपीलांट को दिनांक 29.10.2014 को ज्ञात हुआ कि योग्य स्थायी प्रशासन समिति ने आज्ञाओं की सूची में दिनांक 23.06.2014 की तारिख लगाकर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना बैकडेट लगाकर निर्णय पारित कर दिया। योग्य अधीनस्थ स्थायी प्रशासन समिति ने कयासों के आधार पर रिकार्ड की जांच किये बिना निर्णय पारित कर दिया जिसमें यह अंकित किया कि पट्टा से सम्बंधित रिकार्ड ग्राम पंचायत डूकिया में उपलब्ध नहीं है। योग्य अधीनस्थ स्थायी प्रशासन समिति व ग्राम पंचायत के वर्तमान सरंपच ने पट्टे से सम्बंधित रिकार्ड नहीं होने को पट्टा जारी नहीं किया जाने से जोड़ कर कानूनी भूल की है क्योंकि जिस वर्ष 1983 में पट्टा जारी किया गया उस समय ग्राम पंचायत का सरपंच हनुमान सिंह था जिसके पट्टा पर हस्ताक्षर है एवं पट्टा पर मिसल संख्या (83—84) व तारीख दायर 17.05.1983 अंकित है तथा दिनांक 30.07.1983 को पट्टा प्रीमियम राशि 1140 रूपये जरिये रसीद संख्या 27 जमा होने पर पट्टा सम्पादित किया जाने का पट्टा में अंकन किया हुआ है एवं पट्टा दिनांक 18.08.1983 को जारी किया गया है। फिर भी योग्य स्थायी प्रशासन समिति ने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर "मनमोजीपन"

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

से निर्णय पारित कर पट्टा को खारिज कर दिया। गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 ने अपील प्रस्तुत करके निगरानीकर्ता की आवासीय गुवाड़ी में अवस्थित दुकान को आक्षेपित करते हुए पट्टा को चुनौती दी। पट्टा में वर्णित शेष सम्पदा निगरानीकर्ता की ही होना बताया। उक्त दुकान को बिना किसी आधार के पट्टा में वर्णित सम्पदा से बाहर होना व अपनी होना बताया उक्त अकेली दुकान गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 की किसी भी प्रकार से होना संभव नहीं है परन्तु गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 की किसी भी प्रकार से होना संभव नहीं है परन्तु गैर निगरानीकर्ता ने एक कुटरचित विक्रय अनुबंध विलेख योग्य अधीनस्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें उक्त दुकान को बंशीधर महाजन निवासी गोवटी से क्रय करना बताया उक्त बंशीधर महाजन ग्राम डूकिया का निवासी नहीं था व उसकी दुकान वंहा पर कैसे बनी उसके पास उक्त दुकान का स्वामित्व सम्बंधी व कब्जा सम्बंधी दस्तावेज क्या था के सम्बंध में योग्य स्थायी प्रशासन समिति ने कोई जांच नहीं की व निगरानीकर्ता के कब्जा स्वामित्व की दुकान को गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 की बताते हुए सम्पूर्ण पट्टा को निरस्त कर दिया। योग्य अधीनस्थ स्थायी प्रशासन समिति ने चुनौतिग्रस्त निर्णय में पट्टा राष्ट्रीय अवकाश की दिनांक 15.08.1983 को विधि विरूद्व जारी किया जाना अंकित किया है परन्तु पट्टा दिनांक 15.08.1983 को जारी हुआ अथवा दिनांक 18.08.1983 को जारी हुआ उस सम्बंध में कोई जांच नहीं की ना ही पट्टा सम्बंधी पत्रावली प्राप्त की गई। चुनौतिग्रस्त निर्णय के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि योग्य अधीनस्थ प्रशासन समिति ने निर्णय एक तरह से दुकान के सम्बंध में ही पारित किया है पट्टा नियम विरूद्व किस प्रकार से है इस सम्बंध में गलत फाईण्डिंग देकर निर्णय पारित किया है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अपील संख्या 17/2012 अनुवानी मुरारीलाल बनाम गीता देवी आदि में स्थायी प्रशासन समिति, पंचायत समिति दांतारामगढ़ द्वारा दिनांक 23.06.2014 को दिनांक लगाकर पारित निर्णय विधि विरूद्व होने के कारण उक्त निर्णय को खारिज किया जाने की कृपा करें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थिया गीतादेवी पत्नी सोहनलाल दरोगा निवासी डूकिया के नाम से ग्राम पंचायत डूकिया द्वारा मिसल संख्या 183–184 दिनांक 15.08.1983 को पट्टा जारी किया हुआ है। प्रार्थिया गीतादेवी के पक्ष मे दिनांक 15.08.1983 को जारी पट्टे के विरूद्व गैर निगरानीकर्ता संख्या 01 मुरारीलाल द्वारा पंचायत समिति दांतारामगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर पंचायत समिति दांतारामगढ़ की स्थायी प्रशासन समिति द्वारा निर्णय दिनांक 23.06.2014 पारित कर अंकित किया है कि "मौका कमिश्नर रिपोर्ट व पड़ोसियों के बयानों से श्रीमती गीतादेवी द्वारा 15.08.1983 को 15 अगस्त राष्ट्रीय स्वतन्त्रता पर्व के दिन जिस दिन सम्पूर्ण राष्ट्र स्वतंत्रता पर्व मनाता है और कार्यालय में राजकीय अवकाश रहता है, उसी दिन यह पट्टा बनवा रखा है। इस पट्टे से सम्बंधित रिकार्ड ग्राम पंचायत डूकिया में उपलब्ध नहीं है। इस पट्टे में क्रय शुदा दुकान का पट्टा भी तैयार करवा लिया है। क्रय की गई दुकान जिसके एक खण का गेट उत्तर दिशा में (आम रास्ता में) एवं दूसरे खण का गेट प्रार्थी/वादी के मकान/घर में खुलता है इस दुकान को भी सम्मिलित करते हुए अपने नाम से फर्जी पट्टा प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार गीता देवी के पक्ष में ग्राम पंचायत डूकिया द्वारा जारी बिना नम्बर का पट्टा दिनांक 15 अगस्त 1983 नियम विरूद्व होने से निरस्त किया जाता है।" पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि "ग्राम डूकिया में गायत्री जनरल स्टोर दुकान दो खणों की बनी हुई है। दुकान का गेट उत्तर पिछला खण मुरारीजी के घर में खुला है मुरारीलाल का मकान में पूर्व में गेट है। मुरारीलाल के मकान के पास ही दुकान है दुकान मुरारीलाल के कब्जे में है, दुकान के दोनों खण मुरारीलाल के कब्जे में है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे के बारे में जांच

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

करवाने पर मौजूदा ग्राम पंचायत ने इस दुकान का पट्टा नहीं होना बताया है। पंचायत कहती है कि इस नाम का पट्टा जारी नहीं हुआ है। अतः पट्टा खारिज करने योग्य है।" अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थीया गीतादेवी के नाम से जारी पट्टे की दिनांक में कांट–छांट की हुई है एवं उक्त प्रति को प्रमाणित/सत्यप्रति तक नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध गीतोदवी के नाम से जारी किये गये पट्टे में पट्टा जारी करने की दिनांक 15.08.83 स्पष्ट अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट के मुताबिक उक्त पट्टा सम्बंधी रिकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होना एवं ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी नहीं करना अवगत कराया है। उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी नहीं करने एवं दिनांक 15.08.1983 यानि 15 अगस्त के दिन जारी पट्टा संदेहात्मक एवं फर्जी पट्टा होना प्रतीत होता है। अतः दिनांक 15.08.1983 यानि 15 अगस्त के दिन जारी किये गये पट्टे के सम्बंध में न्यायालय स्थायी प्रशासन समिति, पंचायत समिति दांतारामगढ़ द्वारा अपील संख्या 17/2012 में पारित निर्णय दिनांक 23.06.2014 में किसी प्रकार की दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/9/19

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official